न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 09 / 2023

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, सिरोही ।

बनाम

अप्रार्थी

श्री धनाराम माली पुत्र श्री गणेशराम जाति माली निवासी भाटकडा सिरोही हाल प्रो. गणपति नमकीन भण्डार का गोदाम भाटकडा, कोर्ट के अन्दर, धनाराम माली का मकान, न.प. सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डाबी, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 14.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.11.2023 को प्रवर्तन अधिकारी सिरोही, प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही एवं श्री जेठूसिंह पुत्र श्री मुल्तानसिंह गोदाम कीपर मैसर्स सिरोही (एच.पी.) गैस सर्विस, सिरोही द्वारा संयुक्त रूप से श्री धनाराम माली पुत्र श्री गणेशराम निवासी भाटकडा, सिरोही के प्रतिष्ठान की जांच करने पहुंचने पर वहां पर दो घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडा हुआ पाया गया। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डाबी द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सिरोही एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 08.11.2023 को प्रवर्तन अधिकारी सिरोही, प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही एवं श्री जेठूसिंह पुत्र श्री मुल्तानसिंह गोदाम की[illegible] सर्विस, सिरोही द्वारा संयुक्त रूप से श्री धनाराम माली पुत्र श्री गणे[illegible] भाटकडा, सिरोही के प्रतिष्ठान की जांच करने पहुंचने [illegible] पर दो घरे[illegible]ण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ [illegible] इत्यादि [illegible] बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार [illegible] पर घरेलू गैस सिलेण्ड[illegible]पयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:20:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उपरोक्त दोनों घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि अप्रार्थी का सिलेण्डर वाणिज्यिक उपयोग में नहीं आ रहा था। उक्त सिलेण्डर अप्रार्थी के गोदाम में रखा हुआ था, जिसे थोडी देर में घर पर ले जाना था। उपरोक्त गैस सिलेण्डरों का किसी भी प्रकार से व्यावसायिक उपयोग में नहीं लिया जा रहा था एवं न ही व्यावसायिक उपयोग करना चाहता था। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध गलत मुकदमा दर्ज कर सिलेण्डरों को जब्त किया गया है। उक्त दोनों घरेलू गैस सिलेण्डरों की पास बुक की फोटो कॉपी भी अप्रार्थी द्वारा पेश की गई है। अप्रार्थी द्वारा जिन सिलेण्डरों का उपयोग लिया जा रहा था वह व्यावरायिक सिलेण्डर थे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमाकर जब्तशुदा सिलेण्डरों को लौटाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा दो 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। मौके पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान की जांच करने पर दो घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग प्रतिष्ठान पर नमकीन इत्यादि पदार्थ बनाने का कार्य व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था, जो वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डर के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया है। जहां तक अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि कब्जे सरकार लिए गए घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग घरेलू प्रयोजनार्थ ही किया जाता है, अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इसके सम्बन्ध में उक्त गैस सिलेण्डरों की गैस डायरी भी प्रस्तुत की गई है। चूंकि अप्रार्थी अधिवक्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त सिलेण्डरों को गोदाम में किस कारण से रखा हुआ था एवं अप्रार्थी द्वारा गोदाम को व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा था, जिससे यह प्रतीत होता है कि गोदाम में रखी हुई सामग्री भी व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डरों की गैस डायरी बाद में प्रस्तुत की है, जिससे यह पता लगाना मुश्किल है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई गैस डायरी कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डरों की ही है। चूंकि कब्जे सरकार लिए [illegible] लिए जाते है परन्तु गणपति नमकीन भण्डार के गोदाम, भाटकडा, सिरो[illegible] घरेलू गैस सिलेण्डर पाए जाना एवं उस पर वक्त निरीक्षण [illegible] जाने से स्पष्ट है कि उक्त गैस सिलेण्डरों का [illegible] किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस [illegible]ाधिकृत रूप से किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:20:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये दोनों गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिए गए दोनों गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए दोनों गैस सिलेण्डरों में भरी हुई गैस को नियमानुसार निर्धारित दर पर बेचान कर खाली सिलेण्डर सम्बन्धित गैस कम्पनी को सुपुर्द कर प्राप्त राशि राजकोष के उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:20:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner